जन आधार

राजस्थान सरकार

आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांकः–एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020 / 3980 दिनांक: 22-12-2025

कार्यकारिणी समिति की 12वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की 12वीं बैठक शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 19.12.2025 को प्रातः 11.30 बजे योजना भवन के भू–तल स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है। उक्त बैठक में चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए –

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग / अधिकारी
1.	पूर्व में स्थापित 300 एटीएम की वर्तमान उपयोगिता एवं इसमें लगी मशीनरी की विक्रय लागत का विश्लेषण करने हेतु एक भौतिक निरीक्षण समिति का गठन किया जावे। • उक्त समिति की अनुशंषा के आधार पर निस्तारण की कार्यवाही की जावे। • निस्तारण की कार्यवाही कर राजकॉम्प को हस्तांतरित राशि रूपये 40.00 करोड़ में से शेष राशि 27.18 करोड रूपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा उक्त राशि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को वापस लौटाई जावे।	• 300 एटीएम के संबंध में सूचना प्रोद्यौगिकी और संचार विभाग की आंतरिक कमेटी एवं भौतिक निरीक्षण समिति की अनुशंषा के अनुसार मुख्य सचिव महोदय एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के अनुमोदन उपरान्त ई–कचरा प्रबंधन नीति और इस संबंध में आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त एटीएम के नीलामी / निस्तारण की कार्यवाही RISL द्वारा की जावे। • जिला स्तर पर पर्याप्त संख्या में e-Waste Recyclers है। अत : यथासंभव जिला / संभाग स्तर पर निस्तारित करावें।	प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम्प इन्फों सर्विसेज लिमिटेड
2.	जन आधार के नवीन नामांकन / अद्यतन में निवासियों के बैंक खातों का सत्यापन अद्यतित बैंक खातों के सत्यापन हेतु NPCI से शीघ्र एमओयू किया जाना है।	• NPCI से एमओयू प्रक्रियाधीन है।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
3.	जन आधार में दिनांक 01.10.2023 को अथवा इसके बाद जन्म लिए बच्चों की जन्मतिथि / आयु के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र को ही एक मात्र वैध दस्तावेज के रूप में लेना प्रस्तावित।	• जन आधार में निवासी की जन्मतिथि / आयु के प्रमाण के रूप में आधार से ई–केवाईसी के अतिरिक्त जन्म प्रमाण पत्र को वैध दस्तावेज के रूप में लिया जावे। • आधार एवं जन्म प्रमाण–पत्र में	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.12.22 16:28:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19513600

जन आधार

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग/अधिकारी
		जन्मतिथि भिन्न होने पर जन्म प्रमाण–पत्र की जन्मतिथि को वैध माना जावे।	
4.	एक Fraud Detection Team का गठन किया जावे तथा टीम डिटेक्ट किये Fraud के प्रकरणों का विश्लेषण कर नियमित कार्यवाही करें।	• Fraud Detection Team में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया जावे जिसमें तकनीकी अधिकारी आवश्यक रूप से शामिल हो। • उक्त टीम के कार्यों की गुणवत्ता में इजाफा किया जावे। • रिस्क मेट्रिक्स बनायी जावे। • Fraud Detection के लिए आधार एवं हरियाणा राज्य का परिवार पहचान पत्र का अध्ययन किया जावे।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण एवं तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
5.	जन आधार डेटाबेस में राज्य कर्मचारियों के Employee ID/RGHS एवं PPO Numbers का मिलान करें, जिनके परिवार में से स्वयं अथवा कोई न कोई एक सदस्य समााजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे है।	इस प्रकार की रिपोर्ट वित्त (व्यय–2) विभाग को भी भिजवायी जावे।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
6.	मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कारणों से किसी जन आधार में मुखिया/सदस्य के स्थाई/अस्थाई रूप से निष्क्रिय (Deactive) करने एवं पुनः सक्रिय (Reactive) करने की प्रक्रिया में संशोधन	उक्त प्रस्ताव पर सहमति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदित प्रक्रिया निम्नानुसार है– • मुखिया/सदस्य को निष्क्रिय/सक्रिय करने की अपील द्वितीय सत्यापक के स्तर से जन आधार पोर्टल पर ऑनलाईन माध्यम से पूर्व की तरह ही की जायेगी। • द्वितीय सत्यापक के स्तर से प्राप्त इस प्रकार के सभी आवेदनों को संयुक्त/उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा जिला कलक्टर से OTP के स्थान पर पत्रावली के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा। • जिला कलक्टर से अनुमोदन एवं हस्ताक्षर युक्त कार्यालय आदेश को जन आधार पोर्टल पर अपलोड	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण एवं तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.12.22 16:28:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19513600

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग / अधिकारी
		किया जाएगा। • जिला कलक्टर से अनुमोदन एवं हस्ताक्षर युक्त कार्यालय आदेश को जन आधार पोर्टल पर अपलोड उपरांत अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी (संयुक्त/उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी) की एसएसओ आईडी से जन आधार से मुखिया/सदस्य को निष्क्रिय एवं पुनः सक्रिय किया जायेगा।	
7.	**अनाथ बच्चों का जन आधार नामांकन की प्रक्रिया पर विचार–विमर्श** • वर्तमान में अनाथ बच्चों का जन आधार नामांकन में माता–पिता का नाम दर्ज करना अनिवार्य नहीं हैं लेकिन बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नम्बर अनिवार्य है। • अनाथ बच्चों के पास बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल नम्बर नहीं होने की स्थिति में उनका जन आधार नामांकन नहीं हो पाता है। • अनाथ बच्चों के जन आधार नामांकन में मोबाइल नंबर एवं बैंक खाते की अनिवार्यता के स्थान पर इनको केवल वैकल्पिक रखा जावे। • अनाथ होने के प्रमाण के लिये संबंधित संस्था/अनाथालय का प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। • अनाथ बच्चे के संरक्षक के रूप में संबंधित संस्था/अनाथालय के संस्था प्रधान/वार्डन/कार्मिक की जन आधार संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज की जावे। • बच्चे के 18 वर्ष पूर्ण होने तक जन आधार में समस्त प्रकार के अद्यतनों का अधिकार केवल संरक्षक को प्राप्त हो। • बच्चे के 18 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतः ही	• एक वर्किंग ग्रुप बनाकर संबंधित विभाग जो कि इस प्रकार के अनाथालय संचालित करता है, से समन्वय कर अनाथालयो की संख्या एवं उनमें रहने वाले बच्चों की संख्या पता करें। • उक्त वर्किंग ग्रुप अनाथ बच्चों के जन आधार में नामांकन की प्रक्रिया का निर्धारण कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। • तद्नुसार अनाथ बच्चों के जन आधार में नामांकन की प्रक्रिया का प्रावधान पोर्टल में करवाया जावे।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण एवं तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.12.22 16:28:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19513600

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग/अधिकारी
	संरक्षक की भूमिका समाप्त हो जावे।		
8.	सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट से लाभार्थी का फोटो हटाये जाने संबधी निर्णय • राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के धारा 18 के अनुसार जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिये जाने वाले लाभों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण रिपोर्ट (प्रशासनिक प्रतिवेदन) प्रत्येक 6 माह में ग्राम सभा एवं वार्ड समिति में प्रस्तुत की जाती है। • उक्त अंकेक्षण रिपोर्ट में प्रत्येक 6 माह में लाभार्थी को दिये गये लाभों के विवरण सहित जन आधार मुखिया का फोटो भी प्रदर्शित होता है। • उक्त अंकेक्षण रिपोर्ट से फोटो की निजता एवं गोपनीयता के कारण जन आधार मुखिया का फोटो हटाये जाने का निर्णय लिया जाना है।	• सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट से जन आधार मुखिया का फोटो हटाये जाने के प्रस्ताव पर सहमति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण एवं तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
9.	जन आधार योजना की SeMT प्रस्तावों जो कि **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।	• जन आधार योजना की SeMT प्रस्तावों पर सहमति एवं अनुमोदन प्रदान किया गया। • SeMT की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
10.	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार विमर्श एवं अनुमोदन।	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की अंकेक्षण रिपोर्ट पर अनुमोदन किया गया।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
11.	ई–मित्र प्लेटफार्म पर G2C एव B2C सेवाओं के एकीकरण के संबंध में • ई–मित्र प्लेटफॉर्म पर G2C एवं B2C श्रेणी की विभिन्न विभागों की सेवाओं के एकीकरण संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के पत्र दिनांक 21.07.2025 एव दिनांक 13.11.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव राजस्थान जन	• ई–मित्र प्लेटफार्म पर G2C एवं B2C सेवाओं के एकीकरण के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के पत्र दिनांक 21.07.2025 एवं दिनांक 13.11.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। • भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेन्टर से एकीकृत सेवाओं का अवलोकन	तकनीकी निदेशक (ई–मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

Signature valid

Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.12.22 16:28:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19513600

जन आधार

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग/अधिकारी
	आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	कर ई–मित्र प्लेटफार्म पर भी अधिक से अधिक सेवाओं का एकीकरण किया जावे। • अधिक से अधिक सेवाओं को जोड़ने हेतु विभाग Pro-active होकर कार्य करावे।	
12.	राजस्थान जन आधार योजना की प्रगति की समीक्षा।	जन आधार योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।	निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
13.	जन आधार मेंबर आईडी का उपयोग करके DBT ट्रांज़ेक्शन डेटा जन आधार पोर्टल पर IFMS से प्राप्त करने के हेतु IFMS पोर्टल से एकीकरण किया जावे। • वर्तमान में राज्य की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) के माध्यम से किया जा रहा है। • यह प्रस्ताव है कि संबंधित लाभार्थी की जन आधार मेंबर ID को डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन और डेटाबेस के ज़रिए IFMS में कैप्चर किया जाए। जिससे जन आधार पोर्टल पर रियल टाईम में डीबीटी का डेटा रिवर्स सिडिंग के माध्यम से प्राप्त हो जाये। • अगर जन आधार मेंबर ID IFMS में उपलब्ध है, तो DBT ट्रांज़ेक्शन डिटेल्स और लाभ की राशि सीधे IFMS से ली जा सकती है, जिससे जन आधार के लिए अलग–अलग डिपार्टमेंट से यह जानकारी लेने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।	• जन आधार मेंबर आईडी का उपयोग करके DBT ट्रांज़ेक्शन डेटा जन आधार पोर्टल पर IFMS से प्राप्त करने के हेतु IFMS पोर्टल एकीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। • राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड एवं आईएफएमएस की टीम शीघ्र ही उक्त पोर्टल्स के एकीकरण की कार्यवाही करे।	तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड एवं वित्त विभाग
14.	स्मार्ट (सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम) प्रोजेक्ट के ज़रिए योग्य नागरिकों को प्रोएक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए जन आधार डेटाबेस का रीड ओनली एक्सेस देने का प्रस्ताव।	• उक्त प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गई। • डेटा साझा करने हेतु प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश प्रदान किये गये।	तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.12.22 16:28:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19513600

जन आधार

क्र. सं.	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित विभाग/अधिकारी
15.	ई–प्रशासन को डेटा उपलब्ध कराने पर विचार।	विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार डेटा साझा करने पर सहमति प्रदान की गई।	तकनीकी निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(निर्मल कुमार सेठी)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.17(8)22/डीईएस/रा.ज.आ.यो./का.स. बैठक/2020/3981-93 दिनांकः 22-12-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग तथा अध्यक्ष, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
8. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
10. निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
11. तकनीकी निदेशक (ई–मित्र), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
12. तकनीकी निदेशक (जन आधार), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
13. एसीपी, मुख्यालय, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.12.22 16:28:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19513600

परिशिष्ट–1

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 19.12.2025 को आयोजित 12वीं बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची

1.	श्रीमती अमिता शर्मा, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2.	श्री निर्मल कुमार सेठी, निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
3.	श्री कौशल्या संकृत्या, निदेशक (वित्त), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
4.	श्री सुदेश अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
5.	श्री उमेश जोशी, एस.ए. (संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
6.	श्रीमती सीमा तनेजा, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
7.	श्री सूर्यकांत गुप्ता, एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
8.	श्री सुनील चौधरी, एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
9.	श्री मनीष कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
10.	श्री सुरज्ञान डिडेल, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
11.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
12.	श्रीमती सविता रावत, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
13.	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
14.	श्री राज कुमार मंगल, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
15.	श्री योगेश कुमार पारीक, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
16.	सुश्री प्रिया बैरवा, प्रोग्रामर, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
17.	श्रीमती सुनिता मीणा, प्रोग्रामर, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.12.22 16:28:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19513600

जन आधार

सत्यमेव जयते

2025 International Year of Cooperatives

परिशिष्ट–2

जन आधार योजना की SeMT के अनुमोदित प्रस्ताव

Particular	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	Total
	Rs. In Lacs					
Software for Jan Aadhaar Application & Jan Aadhaar Resident Data Repository: Enrolment, Editing & Verification, Creation & Maintenance of Jan Aadhaar Resident Data Repository, Integration of DBT Schemes with Jan Aadhaar Platform, Reporting/Analytics, Mobile Application, Data Security	700	380	380	380	380	**2,220.00**
Jan Aadhaar Card Printing and Distribution Approximate 2 cr. card (Bulk Delivery upto State/District/Block office/beneficiaries)	5000					**5,000.00**
Procurement/Maintenance/Up gradation/Licensing of Data Center Site Components (Hardware, System Software, Licences etc.) required under Rajasthan Jan Aadhaar Yojana (Data Center: Oracle Exa-data, Oracle PCA)	800	800	900	900	900	**4,300.00**
Procurement/Maintenance/Up gradation/Licensing of Disaster Recovery Site Components (Hardware, System Software, Licences etc.) required under Rajasthan Jan Aadhaar Yojana Disaster Recovery: Oracle Exa-data, Oracle PCA Note: DR site will be 100% of Production Site.	3,000	800	900	900	900	**6,500.00**
Third Party Integration with Jan Aadhaar Application (NPCI, e-Sanchar, UIDAI, WhatsApp etc.)	300	300	300	300	300	**1,500.00**
Third Party Audit of Jan Aadhaar Application	300	300	300	300	300	**1,500.00**
Enrolment (approx. 5 lakh enrolment per year) Under Jan Aadhaar Yojana through eMitra @27.14 per enrolment	150	150	150	150	150	**750**
PMU along with OEM Resources (2-OEM Resource, 5-Consultants for RISL & 2- Consultants for Jan Aadhaar Authority) with 10% Increment Per Year	680	748	825	910	1000	**4,163.00**
Computer set along with MFP, laptops, Biometric Single Fingerprint Scanner for State, District and Block Offices	700					**700**
Training/Workshops/Stationery/Vehicle/Miscellaneous etc.	100	100	100	100	100	**500**
Dedicated helpdesk at state HQ comprising of 10 manpower along with PRI line	60	60	60	60	60	**300**
Contingency @ 2%	50	50	50	50	50	**250**
Sub Total						**27,683.00**
RISL Service Charge @6%						**1,660.00**
Total						**29,343.00**

Signature valid
Digitally signed by Nirmal Kumar Sethi
Designation : Director
Date: 2025.12.22 16:28:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19513600